रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012022-232508
CG-DL-E-07012022-232508

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 2022/पौष 17, 1943
No. 88] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2022/PAUSHA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2022

का.आ. 91(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	**नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.**	**राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण**
(1)	(2)	(3)
620	107बी	उत्तराखंड राज्य में जोशीमठ के निकट रारा सं. 7 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और मलाड़ी पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
621	134ए	उत्तराखंड राज्य में भैरोघाटी के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नेलोंग, नागा, अंगार, पीडीए को जोड़ने वाला और मेडिके (भारत – चीन सीमा) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/2/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 5432(अ), दिनांकित 28 दिसंबर, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2022

S.O. 91(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
620	107B	The highway starting from its junction with NH No. 7 near Joshimath and terminating at Malari in the State of Uttarakhand.
621	134A	The highway starting from its junction with NH-34 near Bhairoghati connecting Nelong, Naga, Angar, PDA and terminating at Medikay (Indo- China Border) in the State of Uttarakhand.

[F.No. NH-14012/2/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 5432 (E), dated 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2022

का.आ. 92(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

तालिका

क्र. सं.	**नई रारा सं.**	**राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण**
(1)	(2)	(3)
20	7	पंजाब राज्य में फाजिल्का (भारत/पाकिस्तान सीमा) से प्रारंभ होकर अबोहर, मलौट, भटिंडा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, राजपुरा हरियाणा राज्य में पंचकूला, रायपुर रानी, धनाना हिमाचल प्रदेश में पोंटा साहिब, **उत्तराखंड राज्य में** देहरादून के निकट ऋषिकेश, देवप्रयाग, रूद्रप्रयाग के निकट, कर्णप्रयाग, चमोली, बदरीनाथ, **माणा, मुसापानी, घासटोली, रत्ताकोना** को जोड़ने वाला **और माणा पास (भारत-चीन सीमा) पर समाप्त होने वाला** राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/2/2022-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 5432(अ), दिनांकित 28 दिसंबर, 2021 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2022

S.O. 92(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 20 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
20	7	The highway starting from Fazilka (India/Pakistan Border and connecting Abohar, Malaut, Bathinda, Barnala, Sangrur, Patiala, Rajpura in the State of Punjab, Panchkula, Raipur Rani, Dhanana in the State of Haryana, Ponta-Sahib in Himachal Pradesh, near Dehradun, Rishikesh, Devprayag, near Rudraprayag, Karnaprayag, Chamoli, Badrinath, **Mana, Musapani, Ghastoli, Rattakona and terminating at Mana Pass (Indo-China border) in the State of Uttarakhand.**

[F.No. NH-14012/2/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 5432 (E), dated 28th December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.07 22:24:11 +05'30'